N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0162 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 02/08/2024 20:36 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 31/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 01/08/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:26 बजे **Time To (समय तक):** 15:55 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 02/08/2024 **Time (समय):** 19:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 02/08/2024 20:36:49 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 3 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Shastri Cricle Ke Pass JODHPUR, HARI OM NAGAR BAJRI CHAORAHA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** CHANDERPRAKESH SHARMA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KANARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1969 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BACK SIDE OF BHDWASIYA SCHOOL, VISHKARMANAGAR, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BACK SIDE OF BHDWASIYA SCHOOL, VISHKARMANAGAR, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	HERENDARA SINGH		पिता:DAULAT SINGH	1. 18/258,CHOPASNI HOUSING BOARD,JODHPUR CITY,RAJASTHAN,INDIA
2	JAYPRAKASH RAJPUROHIT		पिता: GOVERDHANSINGH RAJPUROHIT	1. 138 YES KUNJ,CHOPASNI HOUSING BOARD,HARIOM NAGAR,JODHPUR CITY,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		11,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 11,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो S.U जोधपुर विषयः- भष्टाचार विरूद्व कार्यवाही करने बाबत। महोदय जी, निवेदन है कि मै चन्द्रपंकाश शर्मा पुत्र स्व. कानाराम जी जाति सुथार आयु 55 वर्ष निवासी भदवासीया स्कूल के पिछे, कोल्ड स्टोरेज के पास, विश्वकर्मा नगर जोधपुर का रहने वाला हूँ मेरी पत्नि श्रीमति लवलेश शर्मा ¼ANM½ के पोस्ट से 1 अप्रेल 2024 को V.R.S लिया गया है उसके बाद दस्तावेज तैयार कराने के लिए मै हरेन्द्र सिंह वरिष्ट लिपिक E.S.I डिस्पेन्सरी न0 2 मदेरणा कालोनी जोधपुर से मिला तो उन्होने मेरे से दस्तावेजात तैयार करने के बात पर 15,000 रू. तय किया और मैने दे दयि परन्तु उसके बाद भी काम नही कर हुआ और मुझे कहा गया कि बाकी का काम जयपुर E.S.I डायरेक्टर ऑफिस से करवाना होगा जिसके एवज में 15,000 मांगे जो मैने दे दिये में जयपुर तक साथ गया था परन्तु आज तक काम नही हुआ में बार-बार बाबुजी हरेन्द्र जी से मिलते है वो और 8,000 रूप्ये की मांग कर रहा है। पेंशन के कागज बनाने के लिए 8,000 और मांग रहा है। वो अब मै नही देना चाहता हूँ उसके विरूद्ध कारवाई के लिए आपके कार्यालय में हाजीर हुआ हूँ। अतः निवेदन है कि उचित कारवाई करावो मुझे न्याय दिलाने का कष्ट करे। मेरा बाबुजी हरेन्द्र से निजी तौर पर कोई लेन देन नही है और ना मै उनसे किसी तरह से द्वेष भावना रखता हूँ। दि0 31-7-2024 भवदीय एसडी गोरधनराम चन्द्रप्रकाश शर्मा पढ़ा गया 31.07.2024 भदवासीया स्कूल के पीछे एसडी सुनिल कुमार प्रसाद एसडी मनीष जाखड़ कोल्ड स्टोरेज के पास 01.08.24 01/08/24 विश्वकर्मा नगर जोधपुर M.N0 (कार्यवाही पुलिस दिनांक 31.07.2024 समय 11.26 ए.एम. इस समय परिवादी श्री चन्द्रपंकाश शर्मा पुत्र स्व. कानाराम जी जाति सुथार आयु 55 वर्ष निवासी भदवासीया स्कूल के पिछे, कोल्ड स्टोरेज के पास, विश्वकर्मा नगर जोधपुर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर मे उपस्थित होकर मन् गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि में चन्द्रप्रकाश शर्मा पुत्र स्व. कानाराम जी जाति सुथार आयु 55 वर्ष निवासी भदवासीया स्कूल के पिछे, कोल्ड स्टोरेज के पास, विश्वकर्मा नगर जोधपुर का रहने वाला हूँ मेरी पत्नि श्रीमति लवलेश शर्मा ¼ANM½ के पोस्ट से 1 अप्रेल 2024 को V.R.S लिया गया है उसके बाद दस्तावेज तैयार कराने के लिए मै हरेन्द्र सिंह वरिष्ट लिपिक E.S.I डिस्पेन्सरी न0 2 मदेरणा कालोनी जोधपुर से मिला तो उन्होने मेरे से दस्तावेजात तैयार करने के बात पर 15,000 रूपये तय किया और मैनें दे दिये परन्तु उसके बाद भी काम नही हुआ और मुझे कहा गया कि बाकी का काम जयपुर E.S.I डायरेक्टर ऑफिस से करवाना होगा जिसके एवज में 15,000 रूपये मांगे जो मैनें दे दिये में जयपुर तक साथ गया था परन्तु आज तक काम नही हुआ में बार-बार बाबुजी हरेन्द्र जी से मिलते है वो और 8,000 रूपये की मांग कर रहा है। पेंशन के कागज बनाने के लिए 8,000 और मांग रहा है। परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश ने दरियाफ्त पर भी अपनी रिपोर्ट में अकित तथ्यों की ताईद की तथा साथ ही बताया कि मुझे मेरी पत्नी के पेंशन के दस्तावेज तैयार करने के लिए श्री हरेन्द्र सिंह बाबू द्वारा राशि देने के लिए मजबूर करने पर मैनें उनको पूर्व में राशि दी है। श्री हरेन्द्र सिंह भ्रष्ट कर्मचारी है जो बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करता है। मैं उसे अब रिश्वत के तौर पर मांगी गई राशि नहीं देना चाहता हूँ वगैरा रिपोर्ट से एवं दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टाया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संसोधित 2018) का पाया जाने पर गोपनीय मांग सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय मं पदस्थापित श्री गणेशकुमार कानि. नं0 219 को अपने कार्यालय कक्ष मं बुलाकर पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा व कानि. का आपसी परिचय करवाकर कानि. को बुलाने के मंत्वय से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर (डीवीआर) अलमारी से निकलवाया गया। तत्पश्चात डीवीआर में पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड नहीं होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा व श्री गणेशकुमार कानि. नं0 219 को डिजिटल वाईस रिकार्डर (डीवीआर) के सचांलन

की विधि समझाईस कर आवश्यक हिदायत के साथ डिजिटल वाइस रिकार्ड श्री गणेशकुमार कानि. नं0 219 को सुपुर्द किया गया। उसी रोज श्री गणेशकुमार कानि. नं0 219 को आवश्यक हिदायत देकर रिश्वती राशि मांग की वार्ता करवाने के लिए परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा के साथ उनके निजी मोटरसाईकिल से E.S.I डिस्पेन्सरी न0 2 मदेरणा कालोनी जोधपुर के लिए के रवाना किया। उसी रोज कानि. गणेशकुमार व परिवादी पुनः ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित आये। कानि. गणेशकुमार ने डिजिटल वाइस रिकार्डर स्वीच आॅफ शुदा मन उप अधीक्षक को सुरक्षित हालात मे सुपुर्द किया। परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा ने बताया कि मंै ओर कानि. गणेशकुमार मेरे निजी मोटरसाईकिल से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर मदेरणा कालोनी जोधपुर स्थित ईएसआई डिस्पेन्सरी के पास पहुचें जहां पर कानि. गणेशकुमार ने मुझे आवश्यक हिदायत देकर डिजिटल वाइस रिकार्डर स्विच आन कर सुपुर्द किया। जिस पर मैं वंहा से रवाना होकर आपके निर्देशानुसार मदेरणा कालोनी जोधपुर स्थित डिस्पेन्सरी मे श्री हरेन्द्र सिंह वरिष्ट लिपिक के कक्ष मे गया, जंहा पर श्री हरेन्द्र सिंह वरिष्ट लिपिक अपने कक्ष मे बैठे मिले। जिनसे मेरी पत्नी लवलेश की पेशन के दस्तावेज तैयार करने के संबंध में वार्ता हुई। दौराने वार्ता मेरी श्री हरेन्द्र सिंह वरिष्ठ लिपिक ने मुझे कहा कि आपका काम करीबन नाईन्टी परसेंट हो चुका है तथा अब आपको कुछ करना होगा तब मैनें कितने राशि देने के बारे पूछा तो उन्होनें कहा कि मैं आपको फोन पर बता दुगां। पहले साब से रिक्वेस्ट कर देता हूँ। आप कल ऑफिस आ जाना या फोन पर बता दुगां। उक्त वार्ता होने के पश्चात मैं वहा से रवाना होकर गणेशकुमार कानि. के पास आकर डिजिटल वाइस रिकार्डर उन्हे सुपुर्द किया जिन्होने डिजिटल वाइस रिर्काडर को बन्द कर अपने पास रखा। उसके बाद हम दोनो वहा से रवाना होकर एसीबी कार्यालय आये। साथ ही परिवादी ने बताया कि श्री हरेन्द्र सिंह वरिष्ठ लिपिक से मेरी कल मोबईल फोन पर या रूबरू वार्ता हो जायेगी। जिस पर डिजिटल वाइस रिकार्डर का स्विच आन कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी के उपरोक्त कथनो की ताईद हुई। आरोपी द्वारा परिवादी से कल दिनांक 01.08.2024 को पुनः बात करने हेतु कहा गया है। जिस पर रिश्वती राशि मांग की वार्ता कल दिनांक 01.08.2024 करवाने का निर्णय लेकर उक्त रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लिया गया। परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा को अब तक की कार्यवाही की गोपनियता बरतने की हिदायत कर कल दिनांक 01.08.2024 को आरोपी से सम्पर्क होने या फोन आने पर सीधे ही कार्यालय हाजा में उपस्थित आने की हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया। डिजिटल वाइस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपनी अलमारी मे रखकर अलमारी को लोक कर चाबी अपने पास सुरक्षित रखी गई। दिनांक 01.08.2024 समय 01.15 पी.एम.पर पुर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया व मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि श्री हरेन्द्र सिंह वरिष्ठ लिपिक के मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर कोल आया मगर मैनें रिसिव नहीं किया। इसी दरम्यान आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह के उपरोक्त नम्बरो से फिर कोल आया मगर परिवादी द्वारा रिसिव नहीं किया गया। तत्पश्चात परिवादी के मोबाईल नम्बर का स्पीकर आंन कर आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर पर वार्ता करवाई वार्ता के दौरान परिवादी द्वारा अपनी पत्नी के पेंशन प्रकरण के बारे में पूछने पर आरोपी हरेन्द्र सिंह ने बताया कि आपकी पत्नी का पेंशन प्रकरण का काम करीब-करीब पूरा हो चुका है। अब आप बताओ क्या करना है। जिस पर परिवादी द्वारा आरोपी से पूछा गया कि आप ही आदेश करे तो आरोपी ने कहा कि थोड़ा रूककर बताता हूं। फिर बताया कि 11400/-रूपये लगेगें जिस पर परिवादी द्वारा राशि कम करने का निवेदन करने पर 11000 रूपये लेने पर सहमत हुआ एवं परिवादी को करीब 2-3 बजे तक एमडीएम अस्पताल राशि लेकर बुलाया। उक्त वार्ता कार्यालय के डीवीआर में रिकार्ड की गई। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा को आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 11,000/रूपये के बारे में पुछा तो परिवादी ने बताया कि अभि मेरे पास राशि नहीं है में अपने घर जाकर रूपये लेकर आ जाउगा। जिस पर परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर तुरंत कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने की आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया। अग्रिम ट्रेप कार्यवही में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम कार्यालय पत्र क्रमांक 1911 दिनांक इमरोजा जारी कर श्री अर्जुनसिंह कानि. 319 को सुपुर्द कर दो गवाहान लाने हेतु रवाना जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर किया गया। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी को दी जाने वाली रिश्वति राशि 11,000/रूपये साथ लेकर आया हूँ। इसी दरम्यान श्री अर्जुनसिह कानि. जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से दो स्वतंत्र गवाहान लेकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। जिस पर दोनों कार्मिको को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर उनको बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर उक्त दोनो कार्मिको का परिचय पुछा तो उन्होने अपना परिचय बारी-बारी से श्री मनीष जाखड़ पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट उम्र 26 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम खवासपुर पुलिस थाना व तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ अभियंता जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर एवं श्री सुनिल कुमार प्रसाद पुत्र श्री ब्रह्मदेव प्रसाद उम्र 58 वर्ष पेशा नौकरी निवासी 4जी 10-11 कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर होना बताया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त दोनों गवाहान का कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा का आपस में परिचय करवाकर, परिवादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट को दोनो कार्मिको पढ़ाई गई तथा ब्यूरो का डिजिटल वाइस

रिकार्डर अलमारी से सुरक्षित निकाल कर परिवादी तथा आरोपी के मध्य दिनांक 31.07.2024 एवं 01.08.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के क्रम में हुई वार्ता को सुनाया गया। दोनों कार्मिको द्वारा परिवादी की रिपोर्ट को पढ़कर एवम रिकार्ड वार्ता को सुनकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में स्वतत्र गवाहान रहने की मौखिक स्वीकृती दी एवम परिवादी की रिपोर्ट पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। डिजिटल वाइस रिकार्डर में मैमोरी कार्ड नहीं होने तथा वाईस रिकार्डर में ही परिवादी व आरोपी की वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यपान हुई वार्ता रिकार्ड होने के कारण डीवीआर को सुरक्षित हालत में मन उप अधीक्षक पुलिस की अलमारी मे रखकर लोक किया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू एवं परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा की उपस्थिति आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहा गया। जिस पर परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा ने भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 22 नोट, कुल राशि 11,000 रूपये पेष किये। परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत नोटों के नंबर फर्द पेशकशी में अंकित किये गये जिनका विवरण निम्नानुसार हैः- 01. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 9 DD 844607 02. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 4 MW 332379 03. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 PC 893756 04. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 8 NG 248491 05. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 9 AU 290700 06. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 8 AN 047270 07. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 8 BU 054413 08. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 0 UA 682566 09. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 3 DQ 191060 10. 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 8 EE 529930 11 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 2 VG 594680 12 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 5 DR 164753 13 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 3 LA 824096 14 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 0 GA 938732 15 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 4 BR 040656 16 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7 RR 807481 17 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 1 FN 505951 18 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 4 NL 414052 19 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7 EA 008394 20 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7 ST 774304 21 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 9 KK 383261 22 500 रूपये का एक नम्बरी नोट 7 EF 633250 श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शिशि मंगवाई जाकर उपरोक्त राशि 11000/- रूपये के नोटो को अखबार के उपर रखवाकर उन पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा की जामा तलाशी गवाह श्री मनीष जाखड़ से लिवाई जाकर मोबाईल फोन परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 11000/-रूपये जो श्री हरेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक व अन्य को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा के पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के 22 नोट कुल राशि 11000/-रूपये को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा को हिदायत दी गई कि इस रिश्वति राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वति राशि पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में से निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर कर या मन् गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. पर रिश्वति राशि आदान-प्रदान होने की सूचना करें। तत्पष्चात् एक साफ प्लास्टिक के गिलास (डिस्पोजल) में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितान को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लाने वाली महिला कानि. श्रीमती सुशीला के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईष की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वति राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर नोटों पर पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को व जिस डिस्पोजल गलाश मे उक्त गोल तैयार करवाया गया था को जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शिशि को पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वति राशि लेन-देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करंे। परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा को छोड़कर समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हाथों को साबुन से साफ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने-अपने विभागीय परिचय-पत्र एवं अपने-अपने मोबाईल फोन पास रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा खर्चे के 2,000 रूपये अपने पास रखे। तत्पश्चात वक्त 03.25 पी.एम. इस समय मन् गोरधनराम उप अधीक्षक पुलिस, परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा व श्री गणेश कुमार कानि. 219 को परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से एमडीएम हास्पीटल के लिए आवश्यक हिदायत कर रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस, स्वतंत्र गवाह श्री मनीष जाखड., श्री सुनिल कुमार प्रसाद, ब्यूरो

जाप्ता श्री रामकिशोर सउनि पुलिस, मधुमति हैडकानि नं0 89, अचलाराम हैडकानि नं. 67, अर्जुनसिंह् कानि नं0 319, प्रकाश कानि 265, देवाराम कानि.373 मय कार्यालय का डिजिटल वायस रिकार्डर मय नये मेमोरी कार्ड, ट्रेप बाक्स, लेपटाप, प्रिन्टर व अन्य ट्रेप सामग्री के सरकारी वाहन टवेरा चालक श्री खम्माराम कानि नं0 356 ब्यूरो कार्यालय से मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर के लिए रवाना होकर राजकीय मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर के पास पहुंचा जहा पर एकान्त में दोनो वाहन खड़े करवाकर परिवादी को आवश्यक समझाईस कर कार्यालय से साथ लाया डिजिटल वाइस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर, खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात परिवादी के मोबाईल नम्बर .ा स्पीकर आंन करवाकर आरोपी श्री हरेन्द्रसिंह के मोबाईल नम्बर पर वार्ता करवाई गई वार्ता के दौरान परिवादी द्वारा एमडीएम हास्पीटल के बाहर पहुचने की बात कहने पर आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह द्वारा शास्त्री सर्किल पर आने की बात कही गई। उक्त वार्ता को डिजिटल वाइस रिकार्ड में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू मौतबिरान डीवीआर का स्वीच आंन कर आवश्यक हिदायत के साथ परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा को सुपुर्द कर आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह द्वारा बुलाये गये स्थान शास्त्री सर्किल के लिये रिश्वती राशि आदान-प्रदान के लिए परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से रवाना किया गया। वक्त 03.55 पी.एम. पर परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा पुत्र श्री स्व. कानाराम जाति सुथार निवासी भदवासिया स्कूल के पीछे विश्वकर्मानगर जिला जोधपुर ने पूर्व निर्धारित गोपनीय ईषारा अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर किया जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस समस्त हमरायान के शास्ञत्री सर्किल पर खडे़ परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा के पास पहुचें परिवादी ने अपने पास खडे जिंस व बैंगनी शर्ट पहने व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री हरेन्द्र सिह बाबू जी है जिन्होनें मेरी पत्नी श्रीमती लवलेश सेवानिवृत्त एएनएम का पेंशन प्रकरण बनवाने की एवज में 11000/-रूपये रिश्वत के तौर पर प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई जिंस की दाहिनी जेब में रखे है। जिस पर पास खडे व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना व समस्त हमारायान का परिचय देकर उस व्यक्ति का परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्री हरेन्द्र सिह पुत्र श्री दौलतसिह उम्र 43 वर्ष जाति रावणा राजपूत निवासी 18/258 चैपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक (ईएसआई) कराबी औषधालय नम्बर 02 मदेरणा कालोनी जोधपुर होना बताया जिस पर परिवादी की तरफ ईशारा कर श्री हरेन्द्र सिंह से उनको जानने व किसी प्रकार की राशि प्राप्त करने के बारे में पूछने पर बताया कि मैं इन्हे जानता हूं यह श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा है जो श्रीमती लवलेश सेवानिवृत्त एएनएम के पति है जिन्होनें अभी-अभी 11000/-रूपये मुझे दिये है जो मेने गिनकर अपनी पहनी हुई जिन्स की दाहिनी जेब रखे है। उक्त राशि मैनें श्री जयप्रकाश राजपुरोहित सिनियर नर्सिंग ऑफिसर ईएसआई हास्पीटल बोरानाड़ा के कहने पर उनके लिए लिये है, जो राशि श्रीमती लवलेश का पेंशन प्रकरण श्री जयप्रकाश द्वारा तैयार करने एवं उनके द्वारा कहने पर प्राप्त किये है। जिस पर आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर का स्पीकर आंन कर श्री जयप्रकाश के मोबाईल पर कोल करवाकर वार्ता करवाई, वार्ता के दौरान आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह द्वारा कहा गया कि श्रीमती लवलेश के पति श्री चन्द्रप्रकाश जी द्वारा लवलेश जी के पेंशन प्रकरण के संबंध में आप द्वारा कही गई राशि मुझे दे दी हैं आप कहां मिलेगें । जिस पर जयप्रकाश द्वारा राशि प्राप्त करने के बारे में स्वीकारोक्ती जाहिर करते हुए आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह को अपने घर के पास हरिओम नगर बजरी चैराहा पर राशि लेकर बुलाया जिस पर आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह के दोनों हाथ कलाई से उपर जाप्ते से पकड़वाकर उन्हीं की गाडी में बैठाकर कार्यालय के कार्मिक से गाड़ी चलवाकर आरोपी श्री जयप्रकाश द्वारा बताये स्थान के लिए सरकारी एवं निजी वाहनों से समस्त हमरायान के रवाना होकर हरिओम नगर के पास बजरी चैरहा पर पहुचें। जहां पर आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह को आवश्यक हिदायत के साथ उनके निजी वाहन के चालक सीट पर बिठाया गया वाहन की चाबी मन उप अधीक्षक पुलिस के पास रखी गई जहां पर आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह से श्री जयप्रकाश से पुनः वार्ता करवाने पर श्री जयप्रकाश द्वारा हरेन्द्र सिंह की लोकेशन पूछकर दो मिनट में पहुचने की बात की जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस एवं समस्त हमरायान ने आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह पर नजर रखते हुए आस-पास पोजिशन ली। कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति स्कुटी लेकर श्री हरेन्द्र सिंह के पास पहुचां एवं कुछ वार्ता करने के पश्चात हरेन्द्र सिंह ने परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा द्वारा दी गई राशि अपनी जेब से निकालकर श्री जयप्रकाश को दी जिन्होने राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखीं। राशि का आदान-प्रदान हो जाने पर मन उप अधीक्षक पुलिस समस्त हमारायान को साथ लेकर आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह की गाड़ी के पास पहुंचे तथा स्कूटी के पास खडे़ व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान का परिचय देकर उसका परिचय पूछने पर उसने अपना नाम जयप्रकाश राजपुरोहित पुत्र श्री गोरधन सिंह जाति राजपुरोहित उम्र 55 वर्ष निवासी मकान नम्बर 180 हरिओम नगर चैपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर हाल सिनियर नर्सिंग ऑफिसर ईएसआई बोरानाड़ा होना बताया जिस पर अभी-अभी श्री हरेन्द्र सिंह से प्राप्त की राशि के बारे में पूछने पर बताया कि मैं श्री हरेन्द्र सिंह से उधार की राशि मांग रहा था जिसमें से 11000/-रूपये अभी दिये है जो मैनें मेरी पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखे है। जिस पर पास ही खडे़ श्री हरेन्द्र सिंह ने कहा कि यह झूठ बोल रहे है। इन्होनें श्रीमती लवलेश जी के पेंशन प्रकरण बनाने की एवज में राशि प्राप्त की हैं जिस पर पास ही खडे़ परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा की ओर ईशारा कर उसको पहचानने एवं उसका कोई काम उनके पास पेडिंग होने के बारे में पूछा तो श्री जयप्रकाश ने कहा कि मैं इन्हे जानता हूं यह श्रीमती लवलेश सेवानिवृत्त एएनएम के पति श्री चन्द्रप्रकाश है श्रीमती लवलेश का पेंशन प्रकरण बनाने में कोई समस्या आने

पर श्री हरेन्द्र सिंह द्वारा करीब 20 दिन पूर्व मेरे से वार्ता करने पर मैनें श्रीमती लवलेश की एसएसओ आईडी मांगकर लागीन कर श्रीमती लवलेश के मोबाईल से ओटीपी प्राप्त कर मैनें उनका पेंशन प्रकरण सबमिट कर उनको जरिये फोन बताया था। श्रीमती लवलेश की सेवा पुस्तिका मंगवाई थी जो मेरे घर पर पड़ी है। जिस पर उक्त स्थान आम रास्ता होकर भीड़-भाड़ हो जाने पर सुरक्षा की दृष्टि से श्री जयप्रकाश के दोनों हाथ उपस्थित जाप्ते से कलाई से उपर पकड़ावा कर श्री हरेन्द्रसिंह व श्री जयप्रकाश को सरकारी वाहन में बिठाकर समस्त वाहनों को साथ लेकर अग्रीम कार्यवाही करने के लिए पुलिस थाना चैपासनी हाउसिंग बोर्ड आयुक्तालय जोधपुर पहुंचकर वहां पर उपस्थित अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त कर थाने के स्वागत कक्ष में अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आरोपीगण श्री हरेन्द्र सिंह व श्री जयप्रकाश से बारी-बारी रिश्वती राशि प्राप्त करने के सबंध में स्पष्टीकरण पूछा गया जिस पर श्री हरेन्द्रसिंह ने बताया कि मैं इन्हे जानता हूं यह श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा है जो श्रीमती लवलेश सेवानिवृत्त एएनएम के पति है जिन्होनें थोड़ी देर पहले शास्त्री सर्किल पर 11000/-रूपये मुझे दिये है जो मैनंे गिनकर अपनी पहनी हुई जिन्स की दाहिनी जेब रखे। उक्त राशि मैनें श्री जयप्रकाश राजपुरोहित सिनियर नर्सिंग ऑफिसर ईएसआई हास्पीटल बोरानाड़ा के कहने पर उनके लिए लिये है, जो राशि श्रीमती लवलेश का पेंशन प्रकरण श्री जयप्रकाश द्वारा तैयार करने एवं उनके द्वारा कहने पर प्राप्त किये है। जिस पर पास ही खडे़ परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा ने आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह उक्त कथन का खण्डन करते हुए बताया कि श्री हरेन्द्र सिंह से मैं मेरी पत्नी श्रीमती लवलेश स्वैच्छिक सेवानिवृत्त का पेंशन प्रकरण बनवाने के लिए मिला तो उन्होनें मेरे से दस्तावेज तैयार करने के बात पर 15,000 रूपये की मांग की तब मैनें मजबूरीवश उक्त राशि उनको दे दी, परन्तु उसके बाद भी काम नहीं हुआ और मुझे कहा गया कि बाकि का काम जयपुर ईएसआई डायरेक्टर ऑफिस से करवाना होगा। जिसके एवज में 15000 रूपये और मांगे जो भी राशि मैनें मजबूरीवश दे दी है। लेकिन श्री हरेन्द्रसिंह जी मेरे पत्नी के पेंशन प्रकरण का काम नहीं करने पर कुछ दिन पहले श्री हरेन्द्र सिंह से मिला तो उनके द्वारा 8000 रूपये की और मांग की जिस मैनें उनसे अब राशि देनें में सक्षम नहीं होने की बात कही तो वह राशि के बिना काम नहीं होने की बात कह रहे तथा मेरे पत्नी का पेंशन प्रकरण नहीं बनाकर रिश्वती राशि की मांग की जो आज फोन पर मांगकर, राशि तय की गई राशि 11000/-रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जिन्स की दाहिनी जेब में रखे है। इसी प्रकार श्री जयप्रकाश से आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह से प्राप्त की गई राशि के बारे में पूछने पर बताया कि मैनें श्री हरेन्द्र सिंह को उधार दी गई राशि में से 11000/-रूपये आज प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखे है। जिस पर पास ही खडे़ श्री हरेन्द्र सिंह ने कहा कि श्रीमती लवलेश सेवानिवृत्त एएनएम का पेंशन प्रकरण श्री जयप्रकाश द्वारा तैयार किया गया जिसकी एवज में आज 11000 रूपये रिश्वती राशि मेरे द्वारा परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा से प्राप्त कर जरिये फोन जयप्रकाश से वार्ता करने पर उक्त राशि लेकर मुझे हरिओम नगर बजरी चैराहा बुलाया था। जहां पर उक्त राशि 11000 रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखे है जिस पर श्री जयप्रकाश से पास ही खडे़ परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश को पहचानने एवं उनका कोई कार्य करने या पेडिंग होने के बारे में पूछने ने श्री जयप्रकाश ने बताया कि मैं इन्हे जानता हूं यह श्रीमती लवलेश सेवानिवृत्त एएनएम के पति श्री चन्द्रप्रकाश है श्रीमती लवलेश का पेंशन प्रकरण बनाने में कोई समस्या आने पर श्री हरेन्द्र सिंह द्वारा करीब 20 दिन पूर्व मेरे से वार्ता करने पर मैनें श्रीमती लवलेश की एसएसओ आईडी मांगकर लोगिन कर श्रीमती लवलेश के मोबाईल से आॅटीपी प्राप्त कर उनका पेंशन प्रकरण सबमिट कर उनको जरिये फोन बताया था। श्रीमती लवलेश की सेवा पुस्तिका मंगवाई थी जो मेरे घर-पर पड़ी है। पास ही खडे परिवादी ने बताया कि मेरी पत्नी श्रीमती लवलेश ने मुझे बताया था कि पेंशन प्रकरणों का काम श्री जयप्रकाश जी सिनियर नर्सिंग ऑफिसर देखते है तथा उनके द्वारा मेरा प्रकरण तैयार करने पर मेरे से एसएसओ आईडी मांगकर लोगिन कर ओटीपी आने पर मेरे से ओटीपी ली गई। मैं मेरे उक्त काम के लिए श्री जयप्रकाश जी से कभी नहीं मिला मगर मेरी पत्नी लवलेश की पोस्टिंग इनके साथ रहने एवं ईएसआई हास्पीटल कमला नहेरू नगर के सरकारी आवास में निवास करने के कारण में इन्हं जानता हूं। मेर से श्री जयप्रकाश द्वारा कोई रिश्वत राशि नहीं मांगी गई मगर श्री हरेन्द्र सिंह ने अपने व अपने उच्च अधिकारी के लिए रिश्वती राशि मांगकर प्राप्त किये जिस पर श्री हरेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक एवं श्री जयप्रकाश राजपुरोहित सिनियर नर्सिंग ऑफिसर कोई उत्तर नहीं देकर मौन रहा। उक्त कार्यवाही की मौबाईल से विडियोग्राफी करवाई गई। तत्पश्चात सरकारी गाड़ी में रखा ट्रेप बाक्स मंगवाकर रूबरू गवाहान के अग्रिम हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ट्रेप बाक्स में से दो प्लास्टिक डिस्पोजल के साफ गिलास निकाल कर उक्त डिस्पोजल गलासों में साफ पीने का पानी भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगण ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। एक गिलास के तैयार रंगहीन घोल में आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी झाईनुमा हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी झाईनुमा होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग काँच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे डिस्पोजल गिलास के तैयार रंगहीन घोल में आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी झाईनूमा हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल के रंग

को हल्का गुलाबी झाईनूमा होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग काँच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल. एच.-2 अंकित किया गया। तत्पष्चात उपरोक्त धोवन में प्रयुक्त डिस्पोजल गिलासों को डस्टबिन में डलवाया गया। तत्पश्चात दो नये डिस्पोजल गलासों में साफ पीने का पानी भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगण ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। एक गिलास के तैयार रंगहीन घोल में सह आरोपी श्री जयप्रकाश राजपुरोहित सिनियर नर्सिंग ऑफिसर के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल का रंग मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो काँच की अलग-अलग शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे डिस्पोजल गिलास के तैयार रंगहीन घोल में सह आरोपी श्री जयप्रकाश राजपुरोहित सिनियर नर्सिंग ऑफिसर के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी झाईनूमा हो गया जिसे सभी उपस्थितगण ने उक्त घोल के रंग को हल्का गुलाबी झाईनूमा होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग काँच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पष्चात उपरोक्त धोवन में प्रयुक्त डिस्पोजल गिलासों को डस्टबिन में डलवाया गया। तत्पश्चात सह आरोपी श्री जयप्रकाश राजपुरोहित सिनियर नर्सिंग ऑफिसर की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मनीष जाखड़ से लिरवाने पर सह आरोपी श्री जयप्रकाश राजपुरोहित सिनियर नर्सिंग ऑफिसर के पहनी हुई पेंट की आगे की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के का एक बंडल मिला जिसे श्री मनीष जाखड़ से गिनवाने पर कुल राशि 11000/-रूपये होना पाई गई। गवाह श्री सुनिल कुमार प्रसाद को पूर्व से मुर्तिब फर्द पेशकशी रिश्वती राशि सुपुर्द कर पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बर का मिलान उक्त बरामदगी राशि के नोटों के नम्बरों से करवाने पर नोटों के नम्बर हूबहू फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों के अनुसार पाये गये। उक्त भारतीय मुद्रा 11000/-रूपये को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े में कोने से सिलाई कर सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह के लिए पहनने के लिए अन्य पेंट की व्यवस्था कर पहनी पेंट को उतरवाया गया। इसके बाद एक नयी डिस्पोजल गिलास मंगवाकर पीने का साफ पानी भरवाया गया। उक्त साफ पानी में दो चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब जहां पर आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह ने परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा से रिश्वती राशि प्राप्त कर रखी थी। जो श्री जयप्रकाश द्वारा तय कि गई राशि उन्हें दी गई। आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह की पंेट की उक्त जेब को उल्टाकरवा कर उक्त तैयार रंगहीन घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितान ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त हल्के गुलाबी घोल को दो काँच अलग-अलग शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड मोहर किया जाकर मार्क पी- 01, पी-02 अंकित किया गया। उक्त पेंट की जेब को सुखाकर जेब पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में शील्ड मोहर किया गया। इसी प्रकार सह आरोपी श्री जयप्रकाश के पहनने के लिए एक पेंट की व्यवस्था कर पहनी हुई पेंट को उतरवाया गया। एक नये डिस्पोजल गिलास में पीने का साफ पानी भरवाया जाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में सह आरोपी श्री जयप्रकाश की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई उक्त जेब को उल्टाकरवा कर उक्त तैयार रंगहीन घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया। जिसे सभी उपस्थितान ने मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त हल्के गुलाबी घोल को दो काँच अलग-अलग शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड मोहर किया जाकर मार्क पी-03, पी-04 अंकित किया गया। उक्त पेंट की जेब को सुखाकर जेब पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में शील्ड मोहर किया गया। सह आरोपी श्री जयप्रकाश राजपुरोहित, सिनियर नर्सिंग ऑफिसर की जामा तलाशी में मिला एक मोबाईल फोन बरंग काला वन प्लस कम्पनी का डयूल सिम लगी हुई जिसके सिम नम्बर (बीएसएनएल कम्पनी एवं तथा दूसरी सिम के नम्बर जीओ कम्पनी की एवं आईएमईआई नम्बर 861871067068538 व 861871067068520 होना पाया गया। जो प्रकरण में मतलूब होने के कारण खुली हालत में ही कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रकार आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह की जामा तलाशी में एक मोबाईल फोन बरंग काला ओपो कम्पनी का ड्यूल सिम का मिला जिसमें एक सिम लगी हुई जिसके नम्बर एयरटेल कम्पनी एवं आईएमईआई नम्बर 861148065229812 व 861148065229804 होना पाया गया। जो प्रकरण में मतलूब होने के कारण खुली हालत में ही कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह से परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा की पत्नी श्रीमती लवलेश के पेंशन प्रकरण पत्रावली के बारे मे पूछने पर श्री हरेन्द्र सिंह ने बताया कि पेंशन प्रकरण से संबंधित

दस्तावेज श्रीमती लवलेश की निजी पत्रावली के साथ लगा रखा है जो मेरे कार्यालय में रखी हुई है। इसी प्रकार सह आरोपी श्री जयप्रकाश से पूछने पर उसने बताया कि श्रीमती लवलेश के पेंशन प्रकरण को एसएसओ आईडी से सबमिट करने के लिए श्रीमती लवलेश की सर्विस बुक मैनें श्री हरेन्द्र सिंह से प्राप्त की थी। जो मेरे घर-पर पड़ी है। जिस पर उक्त दस्तावेज एवं पत्रावलियां पृथक से जरिये जब्ती के जब्त करने का निर्णय लिया गया। वक्त 08.35 पी.एम. पर श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र दौलतसिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 43 वर्ष पेशा नौकरी निवासी 18/258 चैपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक (ईएसआई) कराबी औषधालय नम्बर 2 मदैरणा कॉलोनी जोधपुर को रूबरू मौतबिरान उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। वक्त 08.45 पी.एम. पर सह आरोपी श्री जयप्रकाश राजपुरोहित पुत्र श्री गोरधनसिंह राजपुरोहित उम्र 55 वर्ष पेशा नौकरी निवासी 138 हरिओम नगर चैपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर हाल सिनियर नर्सिंग ऑफिसर (ईएसआई) कराबी औषधालय बोरानाड़ा जोधपुर को रूबरू मौतबिरान उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। वक्त 09.20 पी.एम. मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा गिरफ्तार शुदा मुल्जिम श्री हरेन्द्रसिंह मय लिये गये प्रादर्श, बरामदा रिश्वती राशि एवं ट्रेप सामग्री श्री अचलाराम मुख्य आरक्षक नम्बर 67 मय जाप्ता श्री अर्जुनसिंह कानि. श्री गणेश कुमार कानि. को संभलाया जाकर पुलिस थाना चैपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर से एक महिला कानि. को श्री जयप्रकाश के रहवासी मकान पर पहुचने के लिए निर्देशित कर मन उप अधीक्षक पुलिस गिरफ्तार शुदा सह आरोपी जयप्रकाश राजपुरोहित को हमरा दोनों स्वतंत्र गवाहन एवं ब्यूरो जाप्ता के श्री जयप्रकाश राजपुरोहित के रहवासी मकान हरिओम नगर चैपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर पहुंचकर समय 09.35 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस रूबरू मौतबिरान के एवं पूर्व से तलबिदा आई श्रीमती भंवरी महिला कानि. नम्बर 992, सह आरोपी जयप्रकाश के रिश्तेदार श्री दिपेश एवं पुत्री सुश्री काजल की उपस्थिति में परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा की पत्नी श्रीमती लवलेश शर्मा के पेंशन प्रकरण के दस्तावेज एवं, सेवा पुस्तिका को जब्त कर फर्द जब्ती मुर्तिब की गई। समय 10.05 पी.एम. पर सह आरोपी श्री जयप्रकाश राजपुरोहित के मकान नम्बर 138 हरिओम नगर चैपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर की रूबरू मौतबिरान एवं सह आरोपी श्री जयप्रकाश के रिश्तेदार श्री दिपेश एवं पुत्री सुश्री काजल की उपस्थिति में खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी मुर्तिब की गई। ताबाद रवाना होकर मय समस्त हमरायान एवं गिरफ्तार शुदा सह आरोपी जयप्रकाश राजपुरोहित के मय ब्यूरो जाब्ता सरकारी वाहन टवेरा मय स्वतत्र गवाहन के उपरोक्त फिकरा रवाना शुदा पुलिस थाना चैपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर के स्वागत कक्ष मे पहुचें। समय 11.30 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस तथा गिरफ्तार शुदा दोनों मुल्जिमान श्री हरेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक व श्री जयप्रकाश सिनियर नर्सिंग ऑफिसर व श्री अचलाराम हैड कानि. 67 को संभलाया गया समस्त मालखाना आईटम आरोपी श्री हरेन्द्रसिंह के दोनों हाथों का लिया गया धोवन का शील्डशुदा शीशीयां आरएच-1, आरएच-2 तथा एलएच- 1 एलएच-2 पेंट की जेब का धोवन की शील्ड शुदा शीशीयां मार्क पी-01 व पी-02 तथा पेंट का कपडे की थैली में शील्ड शुदा पैकेट तथा सहआरोपी श्री जयप्रकाश के दोनों हाथों का लिया गया धोवन का शील्डशुदा शीशीयां आरएच-01, आरएच-02 तथा एलएच-01 एलएच-02 एवं पेंट की धोवन की शील्ड शुदा शीशीयां मार्क पी-03 पी-04 तथा पेंट का कपड़े की थैली में शील्ड शुदा पैकेट एवं बरामदा रिश्वती राशि कपडे के टुकडे से शील्ड चिट सह आरोपी श्री जयप्रकाश राजपुरोहित, का एक मोबाईल फोन बरंग काला वन प्लस कम्पनी का डयूल सिम लगी हुई जिसके सिम नम्बर [redacted] बीएसएनएल कम्पनी एवं तथा दूसरी सिम के नम्बर [redacted] जीओ कम्पनी की एवं आईएमईआई नम्बर 861871067068538 व 861871067068520 व आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह का एक मोबाईल फोन बरंग काला ओपो कम्पनी का ड्यूल सिम का जिसमे एक सिम लगी हुई जिसके नम्बर [redacted] एयरटेल कम्पनी एवं आईएमईआई नम्बर 861148065229812 व 861148065229804 जो दोनो मोबाईल खुली हालात में मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि नं0 67 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। डीवीआर मन उप अधीक्षक पुलिस की अलमारी में सुरक्षित रखकर अलमारी को लाक किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह व सह आरोपी श्री जयप्रकाश राजपुरोहित का मेडिकल चैकअप एवं सुरक्षित हवालात में जमा करवाने हेतु श्रीमान मेडिकल ऑफिसर राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय पावटा जोधपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमन्दिर जोधपुर-पूर्व के नाम तहरीर जारी कर श्री अचलाराम हैड कानि. नं. 67 पुलिस मय श्री अर्जुनसिह कानि. नं. 319, श्री देवाराम कानि. 373 मय आरोपीगण श्री हरेन्द्र सिह व सह आरोपी श्री जयप्रकाश राजपुरोहित पुलिस थाने उदयमंदिर की हवालात में सुरक्षित जमा करवाया गया। दिनांक 02.08.2024 प्रातः पूर्व से पाबन्दशुदा गवाह श्री मनीष जाखड़ व श्री सुनील कुमार प्रसाद एवं परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा ब्यूरो चैकी पर उपस्थित आये। जिस पर वक्त 09.45 ए.एम. मन् उप अधीक्षक पुलिस की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा डीवीआर जिसमें में वक्त रिश्वति राशि मागं सत्यापन परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा एंव आरोपी श्री हरेन्द्रसिंह वरिष्ठ सहायक के मध्य दिनांक 31.07.2024 को हुई रूबरू वार्ता एवं दिनांक 01.08.2024 को हुई टेलीफोनिक वार्ता जो डीवीआर में रिकार्ड है उक्त डीवीआर को कार्यालय में उपस्थित गवाहान एवं परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा की उपस्थिति में निकालकर श्री गणेश कुमार कानि. 219 से कार्यालय के लेपटोप कनेक्ट करवाकर लेपटोप के माध्यम से सुन-सुन समझकर शब्द ब शब्द हूबहू फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मुर्तिब की गई। रिकार्ड वार्ता में एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह की होना पहचान परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश द्वारा की गई। उक्त डीवीआर से तीन सीडीयां तैयार की जाकर डब सीडियां मानते

हुए खुली हालात में रखी गई तथा मूल डीवीआर को एक कपडे़ की थैली में डालकर शील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये ताबाद उक्त शील्ड शुदा डीवीआर को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. 67 को सुपुर्द कर मालखाना में जमा करवाया गया। तत्पश्चात वक्त 11.15 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड जिसमें दिनांक 01.08.2024 को लेन-देन से पूर्व परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश व आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक के मध्य हुई मोबाईल वार्ता रिश्वती राशि आदान-प्रदान के पश्चात प्रथम घटनास्थल पर आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह एवं सह आरोपी जयप्रकाश के बीच के मोबाईल से रिकार्ड वार्ता एवं सह आरोपी श्री जयप्रकाश के घर के पास हरिओम नगर बजरी चैराहा पर पहुचंकर आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह एवं सह आरोपी श्री जयप्रकाश के मध्य हुई मोबाईल रिकार्ड वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान की उपस्थि‌ति में श्री गणेश कुमार कानि. 219 से मैमोरी कार्ड जिसमें उक्त वार्ता रिकार्ड हैं को लेपटोप से कनेक्ट करवाकर सुन-सुन समझकर शब्द ब शब्द हूबहू फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मुर्तिब की गई। रिकार्ड वार्ता में एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह की होना पहचान परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश द्वारा की गई। उक्त डीवीआर से तीन सीडीयां तैयार की जाकर डब सीडीयां मानते हुए खुली हालात में रखी गई तथा डीवीआर में लगे मूल मैमोरी कार्ड को एक कपडे की थैली में शील्ड मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये ताबाद उक्त शील्ड शुदा मूल मैमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. 67 को सुपुर्द कर मालखाना में जमा करवाया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस हमरा श्री अचलाराम हैड कानि 67 दोनों स्वतंत्र गवाहान परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा एवं गिरफ्तार शुदा मुल्जिम श्री हरेन्द्र सिंह के मय सरकारी वाहन टवेरा चालक श्री खम्माराम के वास्ते घटनास्थल निरीक्षण एवं हालात मौका मुर्तिब करने के लिए शास्‌त्री सर्किल के लिए तथा आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह द्वारा ट्रेप कार्यवाही के दौरान बताये परिवादी चन्द्रप्रकाश शर्मा के पत्नी श्रीमती लवलेश के पेंशन प्रकरण से संबंधित दस्तावेज एवं पत्रावली कार्यालय (ईएसआई) कराबी औषधालय नम्बर 02 मदैरणा कॉलोनी जोधपुर से जब्त करने के लिए रवाना होकर शास्त्री सर्किल पहुचा वक्त 01.50 पी.एम. मन उप अधीक्षक पुलिस रूबरू मौतबिरान व परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा की निशा देही पर के घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल एवं हालात मौका स्थल प्रथम मुर्तिब किया गया। तत्पश्चात वहां से रवाना होकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय उपरोक्त हमराहान के द्वितीय घटनास्थल हरिओम नगर बजरी चैराहा चैपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर पहुचां। जहां पर गवाहान के रूबरू उनकी की निशा देही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल एवं हालात मौका स्थल द्वितीय मुर्तिब की गई। तत्पश्चात वहां से रवाना होकर परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा को कार्यालय पहुचने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहन एवं गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह को साथ लेकर कराबी औषधालय संख्या 02 मदैरणा कालोनी जोधपुर पहुचां जहां पर उपस्थित डिस्पेंसरी स्टाफ से स्वीकृति प्राप्त कर आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह के बताये अनुसार उनके कार्यालय कक्ष में रखी टेबल पर परिवादी श्री चन्द्रप्रकाश की पत्नी श्रीमती लवलेश शर्मा के पेंशन प्रकरण से संबंधित दस्तावेज मिले जिसे रूबरू गवाहान के पृष्ठाकिंत कर जरिये फर्द जब्ती जब्त किया जाकर कब्जा एसीबी ली गई। ताबाद जब्ती के मन उप अधीक्षक पुलिस समस्त हमारान एवं गिरफ्तार शुदा मुल्जिम श्री हरेन्द्र सिंह के कार्यालय एसीबी एसयू जोधपुर पहुचां। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही दिनांक 01.08.2024 को दौराने ट्रेप कार्यवाही मोबाईल से करवाई गई विडियोग्राफी को लेपटोप के माध्यम से तीन सीडियां तैयार की गई। जिनको खुली हालात में रखी जाकर सुरक्षित मालखाना में रखवाई गई। अतः श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र दौलतसिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 43 वर्ष पेशा नौकरी निवासी 18/258 चैपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक (ईएसआई) कर्मचारी राज्य बीम औषधालय नम्बर 2 मदैरणा कालोनी जोधपुर एवं सह आरोपी श्री जयप्रकाश राजपुरोहित पुत्र श्री गोरधनसिंह राजपुरोहित उम्र 55 वर्ष पेशा नौकरी निवासी 138 हरिओम नगर चैपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर हाल वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी (ईएसआई) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय बोरानाड़ा जोधपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 बीएनएस 2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है। भवदीय, (गोरधनराम) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू जोधपुर.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गोरधनराम, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) तथा 61 बी.एन.एस. में आरोपीगण 1. श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र दौलतसिंह निवासी 18/258 चैपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक (ईएसआई) कर्मचारी राज्य बीम औषधालय नम्बर 2 मदैरणा कालोनी जोधपुर एवं 2. सह आरोपी श्री जयप्रकाश राजपुरोहित पुत्र श्री गोरधनसिंह राजपुरोहित उम्र 55 वर्ष पेशा नौकरी निवासी 138 हरिओम नगर चैपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर हाल वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी (ईएसआई) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय बोरानाड़ा जोधपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री खींवसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 28 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 849-53 दिनांक 2.8.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं

सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर। 2 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवायें, राजस्थान, जयपुर। 3-निदेशक एवं पदेन उपसचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवायें, क.रा.बी. योजना, लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड, जयपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू जोधपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** khinw SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 02/08/2024 20:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	02/08/1979				
2	Male	20/10/1969				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)